चंदुरू शिवा राम कृष्ण और अन्य.

बनाम

पेड्डी रविन्द्र बाबू और अन्य.

2009 आदि की क्रिमीनल अपील नं. 549

25 मार्च, 2009

[एस.बी. सिन्हा और मुकुंदकम शर्मा , जे.जे]

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 482-का दायरा-

नो अपराधियों के विरूद्ध धारा 406,420 और 424 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आपराधिक कार्यवाही, कुछ अपराधियों (मुख्य अपराधी के परिवार के सदस्यों/ रिश्तेदारों) ने कार्यवाहियों को रद्द करने के लिए याचिका दायर की, उच्च न्यायालय द्वारा खारिज अपील में निर्धारित किया गया कि जब अभियोजन को प्रारंभिक चरण पर खारिज किये जाने की मांग की जाती है तो लागू किया जाने वाला परीक्षण यह है कि क्या शिकायत में निर्विवाद रूप से लगाये गये आरोपों से प्रथम दृष्टया आरोप/अपराध बनता है। तथ्यों के आधार पर, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है, उनकी कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बताई गई

उनके विरूद्ध कार्यवाही रद्द कर दी गई- भारतीय दण्ड संहिता, 1860, धारायें 406,420,424 सपठित धारा 34.

अभियुक्त संख्या-01 एक चावल मील का अकेला मालिक था। जैसे-जैसे उसके व्यवसाय में गिरावट आई, उस पर बैंकों, वित्तीय संस्थानों और जनता का कर्ज बकाया हो गया, उसने एक दिवालियेपन की याचिका दायर की। अभियुक्त संख्या 1 व उसके परिवार के सदस्यों के विरूद्ध अनेक अभ्यावेदन दिये गये, आरोप लगाये गये। अभ्यावेदन पुलिस को जांच के लिए भेजे गये। उत्तरदातागण आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा अभियुक्त संख्या 1 और उसके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों (अपीलार्थी अभियुक्त संख्या 2,3 और 6, 8 सहित) के खिलाफ धारा 406 और 420 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराधों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने अंतर्गत धारा 406 और 420 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप पत्र पेश किया। अपीलार्थी-अभियुक्तों ने धारा 482 सी.आर.पी.सी. के तहत आपराधिक शिकायत और आरोप पत्र को खारिज करने के लिए याचिका पेश की। याचिका उच्च न्यायालय के द्वारा खारिज कर दी गई। इसलिए अपीलें पेश की गई।

न्यायालय ने अपीलें स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया कि-

जब प्रारंभिक स्तर पर अभियोजन को रद्द करने की मांग की गई, तो न्यायालय द्वारा परीक्षण लागू किया जायेगा कि क्या शिकायत में लगाये

गये निर्विवाद आरोपों से प्रथम दृष्टया आरोप बनता है/बनना पाया जाता है। यदि न्यायालय यह समीचीन और न्यायहित में आवश्यक समझता है तो किसी मामले में किसी विशेष तथ्य को अभियोजन को आगे चालू रखने के लिए विचार में ले सकता है। इन आधारों को न्यायालय किसी अन्य उद्धेश्यों के लिए काम में नहीं ले सकता। भजन लाल के मामले में जो परीक्षण लागू किया गया वह किसी भी रद्द करने की प्रार्थना/याचिका में बहुत ही सावधानी व सूक्ष्मता से लागू किया जावे। [**पैरा 17][1142-F-H; 1143-A]**

ड्रग्स इंस्पेक्टर बनाम डॉ० बी.के. कृष्णा 1981 (2) एससीसी 454; दिल्ली नगर निगम बनाम राम किशन रोहतगी 1983 (1) एससीसी 1; हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल 1992 पूरक (1) एससीसी 335; पेप्सी फूड्स लिमिटेड बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट 1998 (5) एससीसी 749; एस.डब्ल्यू पलानीकर बनाम बिहार राज्य 2022(1) एससीसी 241 – पर भरोसा किया गया।

2.1 तत्काल मामले में, अपील कर्ताओं के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति से कोई महत्वपूर्ण उद्धेश्य पूरा नहीं होगा, चार्जशीट में अधिकतर आरोप अभियुक्त संख्या 1 के विरूद्ध निर्देशित हैं। आरोपित अपराध में इन व्यक्तियों के खिलाफ, इनकी कोई निश्चित भागीदारी/भूमिका हो ऐसा कोई ठोस और सीधा आरोप नहीं है। उनके विरूद्ध बयानों के आधार पर जो

आरोप लगाये गये हैं, बयानों से जो सबूत उनके विरूद्ध प्रथम दृष्टया बनते हैं वे बहुत अस्पष्ट जिनके आधार पर कोई मामला नहीं बनाया जा सकता। इस तरह के आरोपों से प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता, इसलिए, अपीलार्थी अभियुक्त संख्या 2 और 3 तथा अभियुक्त संख्या 6 से 8 के विरूद्ध कार्यवाहियां निरस्त कर दी जाती है।[**पैरा 20,21 और 22] [1143-F-G; 1144-B-D]**

केस कानून संदर्भ

1981 (2) एससीसी 454	**पर भरोसा**	**पैरा 12**
1983 (1) एससीसी 1	**पर भरोसा**	**पैरा 12**
1992 पूरक (1) एससीसी 335	**पर भरोसा**	**पैरा 14**
1998 (5) एससीसी 749	**पर भरोसा**	**पैरा 15**
2002 (1) एससीसी 241	**पर भरोसा**	**पैरा 16**

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 549/2009

माननीय आन्द्राप्रदेश उच्च न्यायालय के 2006 क्रिमीनल याचिका संख्या 5618 के निर्णय एवं आदेश दिनांक 01.03.2007 से।

साथ

2009 की क्रिमीनल अपील संख्या 550

जी. रामकृष्णप्रसाद, सी. के. सुचरिता, अपील कर्ताओं के लिए

अल्ताफ फातिमा, डॉ. भारती रेड्डी, उत्तरदाताओं की ओर से

डॉ**. मुकुन्दकम शर्मा, जे**. ने न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. इन दोनों अपीलों पर एक साथ सुनवाई की जा रही है और एक साथ सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा निपटाया जा रहा है, चूंकि इन अपीलों को हैदराबाद में आन्द्रप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आदेश दिनांक 01.04.2007 पर प्राथमिकता दी गई है। उपरोक्त सामान्य निर्णय एक आदेश के द्वारा उच्च न्यायालय के एकल विद्वान न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त संख्या 1 से 9 की आेर से उनके विरूद्ध दायर शिकायत को रद्द करने के लिए पेश याचिका को यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज कर दी कि उनके विरूद्ध शिकायत में जो आरोप लगाये गये है उससे शिकायत को खारिज करने के लिए कोई मामला नहीं बनता है।

3. हमारे समक्ष पक्षकारों के वकीलों द्वारा उठाये गये विवादों के मूल्यांकन के लिए यह आवश्यक है कि उपरोक्त शिकायत दिनांक 02.07.2005 को पेश करने के तथ्य संक्षेप में बताये जावे।

अभियुक्त संख्या 1 चंदुरू सुब्बा राव के पास आन्द्रप्रदेश के गुंटूर जिले के लक्ष्मीपुरम गांव में "सी.एस.आर. राईस मील" के नाम से एक चावल

मील थी। वह उक्त चावल मील का एक मात्र मालिक था। अभियुक्त संख्या 2 से 5 अभियुक्त संख्या 1 के परिवार के सदस्य हैं जबकि अभियुक्त संख्या 6 से 8 दामाद है, आरोपी नंबर 1 की बेटी और दामाद का भाई भी क्रमशः आरोपी हैं, अभियुक्त संख्या 9 को भी दर्ज शिकायत में आरोपी बनाया गया है, और जो अभियुक्त संख्या 1 का बहनोई है, अभियुक्त संख्या 2 और 3 अभियुक्त संख्या 1 के पुत्र है जिनकी आयु क्रमशः 28 और 25 वर्ष है। अभियुक्त संख्या 2 के बारे में बताया गया है कि वह नागार्जुन विश्वविद्यालय गुंटूर से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी कर रहा है और उसने मास्टर आॅफ कम्प्यूटर एप्लीकेशनस में पोस्ट ग्रेजुएशन मद्रास विश्वविद्यालय से की है। दूसरी तरफ, अभियुक्त संख्या 3 के बारे में बताया गया है कि वह बापटला, गुंटूर, आंध्रप्रदेश में इंजनीयरिंग पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहा है। उपरोक्त तथ्यों से यह ज्ञात होता है कि अभियुक्त संख्या 1 के परिवार के सभी सदस्यों को दर्ज शिकायत में अभियुक्त बनाया गया/सूचिबद्ध किया गया है।

4. रिकॉर्ड से यह खुलासा हुआ है कि अभियुक्त संख्या 1 पिछले 20 वर्षों से चावल मील व्यवसाय में था और गांव के स्थानीय धान उत्पादकों से धान खरीदता था और उनमें से कुछ को वाउचर जारी किये जबकि कुछ को तीस हजार से तीन लाख तक की राशि के वचन पत्र धान की खरीद की प्रतिभू के लिए निष्पादित किये गये। उसने पोन्नूर के भारतीय स्टेट

बैंक से तीस लाख का लोन प्राप्त किया और चावल मील को फिर से तैयार किया था। अपनी सद्भावना को मजबूत किया, फिर भी उसके व्यापार में गिरावट आई और परिणामस्वरूप उसने बैंकों, वित्तीय संस्थानों और जनता को ऋण लिया और उसकी देनदारिया कुल मिलाकर रूपये 89,51,600/- की हो गयी, इसलिये उसने दिनांक 24.06.2005 को आई.पी. नंबर 11 ऑफ 2005 एक दिवालियेपन की याचिका बापताला गुंटूर जिला, आंध्रप्रदेश की वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश अदालत में दायर की जिसमें वर्णित किया गया है कि वह 5-6 वर्षों से घाटा सह रहा है और उसकी कुल देनदारिया लगभग रूपये 89,51,600/- है और उसने उक्त दिवालियेपन की याचिका दायर करने के तथ्य के संबंध में समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया है।

5. उपरोक्त दिवालियेपन की याचिका दाखिल करने के परिणामस्वरूप जिला कलक्टर के समक्ष अभियुक्त संख्या 1 व उसके परिवार के सदस्यों पर आरोप लगाते हुए कई अभ्यावेदन ग्रामिणों द्वारा दिये गये, ये अभ्यावेदन जिला कलक्टर ने पुलिस को अनुसंधान हेतु भेजे। धान आपूर्तिकर्ताओं जो यहां उत्तरदाता है, अभियुक्त संख्या 1 और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ एक रिपोर्ट अंतर्गत धारा 406 और 420 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता काकुमानु पुलिस स्टेशन, काकुमानु मण्डल, जिला गुंटूर में दिनांक 02.07.2005 को दर्ज कराई।

6. थानाधिकारी, काकुमानु ने दिनांक 18.09.2006 को एक चार्जशीट नंबर सी.सी. नंबर 110 आॅफ 2006 अभियुक्त संख्या 1 से 9 के विरूद्ध जिसमें दोनों अपीलकर्ता भी शामिल अंतर्गत धारा 406,420 और 424 सपठित धारा 37 भारतीय दण्ड संहिता विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, पोन्नूर में पेश की। उक्त आरोप पत्र में पुलिस ने कहा कि अभियुक्त संख्या 1 से 9 आपस में जुडे हुए हैं ने आपस में मिलीभगत करके दुष्ट विचार और धोखे से धान की आपूर्ति करने वाले लोगों से धोखाधडी करने के लिए बेनामी नामों पर गुप्त रूप से ऋण और सोना बनाया। इस में आगे यह भी कहा गया है कि वर्ष 2005 में अभियुक्त संख्या 1 ने अनेक किसानों से धान की फसल यह कहकर खरीदी कि वह मौजूदा बाजार मूल्य के अनुसार धान की कीमत अदा करेगा। उन्होंने अभियुक्त संख्या 1 पर आंख मूंदकर विश्वास किया और भारी मात्रा में अपने द्वारा उत्पादित धान अभियुक्त संख्या 1 के पास खालीकर दी और उसे ही सौंप दी। किन्तु अभियुक्त संख्या 1 ने धान का कुछ भाग अभियुक्त संख्या 5 को भेज दिया जो सी.एस.आर. इंडस्ट्रीज नाम की शैली से चावल मील शिवालम के विपरीत, ओल्ड पोन्नूर में चला रहा था जिसने अपर्याप्त बिजली आपूर्ति का हवाला देकर गुपचुप तरीके से अपने स्वयं के उपयोग के लिए बेच दी। आगे यह भी कहा गया है कि दस दिन पूर्व उसने भारी मात्रा में 'एनआरआई इंडस्ट्री' पोन्नूर को डायवर्ट किया था। आखिरकार अभियुक्त संख्या 1 ने गैर कानूनी तरीके से उपर वर्णित धान आपूर्तिकर्ताओं के साथ

धोखाधडी कर 1,20,00,000/- रूपये प्राप्त किये। उसने विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, पोन्नूर के समक्ष दिनांक 19.07.2005 को आत्मसमर्पण कर दिया। माननीय आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय ने अग्रीम जमानत के प्रार्थना पत्र के आदेश दिनांक 19.07.2005 में अभियुक्त ए-6 से ए-8 और ए 2 से ए 4 अपीलकर्ताआें सहित को रिलीज करने का निर्देश दिया।

7. दिनांक 25.11.2006 को अभियुक्तगण समस्त संख्या एक से नौ अपीलांट सहित (अभियुक्त संख्या-2 और अभियुक्त संख्या 3) ने संयुक्त रूप से धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता (संक्षिप्त में सीआरपीसी) के तहत आन्ध्रप्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद के समक्ष आपराधिक शिकायत संख्या 110/2006 और आरोप पत्र जो विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग पोन्नूर के समक्ष लंबित थी को इस आधार पर कि यह केवल अभियुक्त संख्या एक द्वारा धान की कीमत के भुगतान की संविदा भंग से उत्पन्न सिविल दायित्व था रद्द करने के लिए संयुक्त रूप से आपराधिक याचिका संख्या 5618 ऑफ 2006 पेश की और, इसलिए पुलिस के लिए यह अनुचित था कि यह एक आपराधिक मुकदमा दर्ज कर धान की वसूली के लिए उनकी सहायता के लिए आई और यह आपराधिक शिकायत अभियुक्त संख्या एक द्वारा दायर दिवालिया याचिका का जवाबी विस्फोट था। फिर भी, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश दिनांक

01.03.2007 के माध्यम से यह पाया कि उन्होंने विभिन्न कृषकों से धान की कीमत का तुरंत भुगतान करने का आश्वासन देकर रूपये 1,20,00,000/- की धान खरीदी लेकिन धान एकत्रित करने के पश्चात वे भूगतान करने में असफल रहे और इस प्रकार इन्होंने उन व्यक्तियों के साथ धोखाधडी की, इसलिए यह अभिनिर्धारित किया गया कि प्रथम दृष्टया सभी अभियुक्तगण संख्या एक से नौ के विरूद्ध सामग्री थी और उसी अनुसार उच्च न्यायालय ने आपराधिक याचिका खारिज करी।

8. उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर इस न्यायालय में दो विशेष अनुमति याचिका दायर की जो एसएलपी (सी) No. 2991 ऑफ 2007 और एसएलपी (सी) No. 5072 ऑफ 2007 के रूप में पंजीकृत की।

2007 की एसएलपी (सी) No. 2991 अभियुक्त संख्या 2 और 3 द्वारा दायर की गयी थी जो आरोपी नंबर 1 के बेटे हैं उनकी उम्र क्रमशः 28 वर्ष और 25 वर्ष है। इस विशेष अनुमति याचिका में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.05.2007 के आदेश द्वारा नोटिस जारी किया गया था और ऐसा करते हुए सी.सी. संख्या 110 ऑफ 2006 की आगे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक जहां तक अपीलकर्ताओं का संबंध है लगा दी। इसी प्रकार, SLP(C) No. 5072 ऑफ 2007 जो अभियुक्त संख्या 6 से 8 जो अभियुक्त संख्या 1 के दामाद, पुत्री (गृहिणी), दामाद का भाई है उनकी विशेष

अनुमति याचिका में भी इसी तरह का आदेश पारित किया गया। अपरोक्त दोनों याचिकायें जब हमने उनके पक्षकारों की ओर से उपस्थित (कोंसिल) व वकील को सुना तो हमारे समक्ष सुनवाई के लिए सूचिबद्ध हुई।

9. श्री अपीलाट्स की ओर से श्री जी. रामकृष्ण प्रसाद विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जब एक एकल स्वामित्व की फर्म में कुछ आपूर्तिकताओं अभिकथित के सदस्यों के विरूद्ध मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। विशेष रूप से उन तथ्यों के प्रकाश में जबकि आपराधिक शिकायत फर्म के मालिक द्वारा दिवालियेपन की याचिका के जवाबी हमले के रूप में दायर की गयी और अनुसंधान अधिकारियों के लिए निर्दोष अपीलकर्ताओं को फंसाना उचित नहीं था इस तथ्य के बावजूद कि कोई ठोस आरोप नहीं था। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि मामला आवश्यक रूप से एक नागरिक प्रोफाईल है क्योंकि बहुत से लोगों ने आपराधिक शिकायत दर्ज की, अभियुक्त संख्या 2 और 3 (अपीलकर्ता यहां) के विरूद्ध बिना किसी आधार या जरा भी सबूत के आपराधिक मुकदमा/अभियोजन लाँच किया गया। जो अभियुक्त संख्या 2 व 3 के उज्जवल करियर व भविष्य को बर्बाद करने के लिए है। उसने आगे यह भी कहा प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओंेें का व्यवसाय के दैनिक आचरण उससे होने वाली आय या कथित धान के स्टोक के बेचने से कोई लेना-देना नहीं था और इसे देखते

हुए यहां उच्च न्यायालय को अपीलकर्ताओं के भविष्य/करियर की कठिनाई और क्षति को ध्यान में रखा जावे।

10. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय ने दिमाग का पुरी तरह से उपयोग न करने के कारण यह देखने में विफल रहा कि आरोपी संख्या 1 के द्वारा चावल मील को एकमात्र स्वामित्व के रूप में चलाया जा रहा था आरोपी संख्या 2 और आरोपी संख्या 3 के पास कुछ भी नहीं था। अपीलकर्ता की अपील खारिज कर दी और इसलिए आरोपी संख्या 1 और 2 के विरूद्ध आरोप चलने योग्य नहीं है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि अनुसंधान अधिकारियों की अवैध कार्यवाही और किसानों का एक कीमती सामान खोने के लिए पुलिस ने अभियुक्त संख्या 3 को अपनी एक महत्वपूर्ण एकेडिमक वर्ष अपनी उपस्थिति पुरी नहीं कर सके और वह परीक्षा में बैठने के लिए निर्योग्य हो जावे उसे अभियुक्त बनाया, यद्यपि ये सब तथ्य विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय के नोटिस में लाये थे लेकिन दुर्भाग्य से ये सब रिकार्ड पर नहीं रखा गया।

11. अपील कर्ताओं के विद्वान वकील श्री सी.के. सुचरिता ने कहा कि धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आवश्य तथ्व सम्पत्ति को सौंपना तथा धारा 420 भारतीय दण्ड संहित के तहत यह साबित होना चाहिए कि शिकायत कर्ता ने कार्यवाही करते हुए अपनी सम्पत्ति से नाता

तोड़ लिया था जो अभियुक्त की जानकारी में झूंठा है और अभियुक्त का शुरू से ही बेईमानी का इरादा था जो शिकायत में लगाये गये आरोपों से स्पष्ट/संतुष्ट नहीं है। उसने आगे यह भी कहा कि उच्च न्यायालय ने धारा 482 सीआरपीसी के तहत अपनी अंतरनिहित का शक्ति का प्रयोग अपीलकर्ताओं के विरूद्ध शिकायत को निरस्त करने में नहीं करना भूला है यहां शिकायत भी अपीलकर्ताओं का अभियुक्त संख्या एक से कोई संबंध नहीं बताती है जबकि अपीलकर्ता अलग परिवार के हैं जो अभियुक्त संख्या एक द्वारा चलाये जा रहे व्यवसाय से किस प्रकार व धान के एकत्रिकरण से किस प्रकार संबंधित थे। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान वकील ने इस न्यायालय द्वारा सुनाये गये विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया।

12. उपरोक्त निवेदन के प्रकाश में हम अपने उठाये गये विवादों के मूल्यांकन विश्लेषण के लिए आगे बढे।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 का दायरा और सीमा भारत में न्यायालय के लिए विचार का विषय रहा है। उपरोक्त बिंदु पर इस न्यायालय द्वारा कई निर्णय पारित किये गये है जिनमें किसी शिकायत को रद्द करने संबंधी कानून को संक्षेप में प्रतिपादित किया गया है। इस इंस्पेक्टर बनाम डॉ. बी.के. कृष्णा [1981 (2) एससीसी 454] के मामले में इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी शिकायत को रद्द करने की कार्यवाही में न्यायालय को यह देखना है कि जो आरोप

लगाये है, उनको यदि साबित कर दिया जाता है तो क्या प्रथम दृष्टया अपराध बनता और क्या अभियुक्त ने प्रथम दृष्टया कोई अपराध किया है। इस मामले में न्यायालय ने शिकायत रद्द करने से इस आधार पर इंकार कर दिया कि शिकायत में पर्याप्त आरोप थे और अभियुक्तगण फर्म के (मैनेजमेंट) और व्यवहार के लिए दायी थे, और इसलिए उनके दायित्व की सीमा ट्रायल के दौसान स्थापित की जा सकती है और की जानी चाहिए। दिल्ली नगर निगम बनाम राम राम राम किशन रोहतगी [1983 (1) एससीसी 1] में अभिनिर्धारित किया गया कि जब शिकायत में लगाये गये आरोपों से सभी उत्तरदातागण (अभियुक्तगण) के विरूद्ध एक स्पष्ट मामला बनता है उच्च न्यायालय को इस आधार पर कार्यवाही रद्द नहीं करनी चाहिए कि शिकायत से किसी अपराध का खुलासा नहीं हुआ।

13. दिल्ली नगर निगम (उपरोक्त) में पैरा 8 में निम्नानुसार देखा गया।

> "8. जब उच्च न्यायालय धारा 482 के तहत अपनी अंतरनिहित शक्ति का प्रयोग जहां तक आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का संबंध एक अन्य महत्वपूर्ण विचार दिमाग में रखना चाहिए। इस मामले पर श्रीमती नागव्वा बनाम वीरन्ना शिवलिंगप्पा कोंजाल्गी (1976) 3 एससीसी 736 में अधिक विस्तार से चर्चा की गई जहां धारा 202 का दायरा

और वर्तमान संहिता की धारा 204 पर विचार किया गया और उन दिशा निर्देशों और आधारों के बारे में बताया जिनके आधार पर कार्यवाही रद्द की जा सकती हैः **[एससीसी पैरा 5, पी. 741 : एससीसी (आपराधिक) पी.पी. 511-12]**

इस प्रकार यह सुरक्षित रूप से अभिनिर्धारित किया कि निम्नलिखित मामलों में मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध प्रक्रिया जारी करने के आदेश को रद्द किया जा सकता है या अपास्त किया जा सकता हैः

(1) जहां शिकायत में लगाये गये आरोप या के समर्थन में गवाहों के दर्ज किये गये बयानों के नाममात्र मूल्य से अभियुक्त के विरूद्ध ठीक रूप से कोई अपराध नहीं बनता है या शिकायत में लगाये गये आरोपों से आरोपित अपराध का खुलासा नहीं होता है;

(2) जहां शिकायत में लगाये गये आरोप स्पष्ट रूप से बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव है जिनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये ये पर्याप्त आधार हैं;

(3) जहां मजिस्ट्रेट के द्वारा आदेशिका जारी करने में अपना विवेकाधिकार प्रयोग में लाया गया है, वह मनमाना और स्वेच्छाचारी है जो या किसी सबूत पर आधारित नहीं है या जो सामग्री पूर्णतः अप्रासंगिक या अग्राह्य है उस पर आधारित है;

(4) जहां शिकायत मौलिक कानूनी दोष से ग्रस्त है, जैसे कि अनुमति की कमी, कानूनी रूप से सक्षम प्राधिकारी द्वारा शिकायत का अभाव/कमी इत्यादि।

हमारे द्वारा उल्लिखित मामले पूरी तरह से उदाहरणात्मक है और आकस्मिकताओं को इंगित करने के लिए पर्याप्त दिशा निर्देश है जहां उच्च न्यायालय कार्यवाहियों को निरस्त कर सकता है।

14. हालांकि, इस विषय पर सबसे प्रसिद्ध मामला हरियाणा राज्य और अन्य बनाम भजन लाल, [1992 पूरक (1) एससीसी 335] न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने के लिए न्यायालय कब करेगा और कब करना चाहिए। उपरोक्त निर्णय में न्यायालय ने उदाहरण के द्वारा यह वर्गीकरण किया कि कब इस शक्ति का उपयोग करना चाहिए, या तो किसी न्यायालय द्वारा प्रक्रिया के दुरुपयोग को

रोकने के लिए या न्यायालय के उद्धेश्यों को प्राप्त करने के लिए। **यह पैरा संख्या 102 में इस प्रकार देखा गयाः-**

> "102. संहिता के अध्याय XIV (चौबिस) के सुसंगत विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या की पृष्ठभूमि और इस न्यायालय द्वारा संविधन के अनुच्छेद 226 के तहत असाधर शक्तियों के प्रयोग या धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग के लिए इस न्यायालय द्वारा मामलों की एक श्रेणी में उद्धरण देखकर और प्रस्तुत करके न्याय के सिद्धांत बताये है, हमने उदाहरणों द्वारा निम्नलिखित कोटि के मामले बताये हैं जहां ऐसी शक्तियों का उपयोग किया या तो किसी न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग रोकने के लिए या न्यायालय के उद्धेश्यों की प्राप्ति के लिए किया जा सकता है, यद्यपि ऐसी शक्ति का कहां प्रयोग किया जावे ऐसी कोई भी सटीक, स्पष्ट परिभाषित और पर्याप्त रूप से श्रृंखलाबद्ध और दृढ़ दिशानिर्देश या कठोर फार्मुला या असंख्य प्रकार के केसों की विस्तृत सूचि वहां ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जावे दिया जाना संभव नहीं है।

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाये गये आरोपों के अंकित मूल्य और उनको पूरी तरह से स्वीकार करने पर भी अभियुक्त के खिलाफ कोई प्रथम अपराध या मामला नहीं बनना पाया जाता है।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाये गये आरोपों और उसके साथ संलग्न अन्य सामग्री यदि कोई हो से किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं होता है, जो संहिता की धारा 156(1) के तहत पुलिस के अनुसंधान अधिकारी को उचित ठहरावे सिवाय संहिता की परिधि में धारा 155(2) मजिस्ट्रेट द्वारा दिये गये आदेश;

(3) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में निर्विवाद रूपसे लगोय गये आरोपों और उसके समर्थन में ईकट्ठी (एकत्रित) की गई साक्ष्य से अभियुक्त के द्वारा किसी अपराध का करना और उसके विरूद्ध किसी अपराध बनना नहीं पाया जाता है;

(4) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाये गये आरोपों से कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है लेकिन केवल असंज्ञेय अपराध बनता है वहां संहिता की धारा 155(2) में मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी को कोई अनुसंधान अधिकारी करने की अनुमति नहीं है।

(5) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाये गये आरोप बहुत बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव है जिनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति

कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां इस संहिता के किसी उपबंध या किसी अन्य कानून में (किसके तहत आपराधिक कार्यवाही की गई) में स्पष्ट रूप से कानूनी बाधा (उत्कीर्ण) कोई मुकदमा दर्ज करने और कार्यवाही को आगे जारी रखने के लिए दी गई है और/या जहां संहिता या संबंधित कानून में पीडित व्यक्ति के द्वारा कार्यवाही करने के लिए कोई विशेष प्रावधान दिया गया है।

(7) जहां आपराधिक कार्यवाही में स्पष्ट रूप से दुर्भावना पूर्वक उपस्थित हुए है/या जहां कार्यवाही प्रतिशोध लेने के गुप्त उद्धेश्य के लिए दुर्भावनापूर्ण है और निजी या व्यक्तिगत ईर्ष्या के कारण परेशान करने के लिए है।"

15. इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त फैसले/निर्णय का पालन पेप्सी फूड लिमिटेड बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट [1998 (5) SCC 749] में किया गया था जिसके पैरा न. 28 में न्यायालय के द्वारा इस प्रकार से अभिनिर्धारित किया गयाः

> "28. किसी आपराधिक मामले में किसी अभियुक्त को समन भेजना एक गम्भीर मामला है। आपराधिक मामले में साधारण रूप से कानून को इस प्रकार क्रियान्वित नहीं किया

जा सकता, एेसा नहीं कि शिकायतकर्ता को अपने आरोपों के समर्थन में केवल दो गवाह लाये और आपराधिक प्रक्रिया को गति दे। अभियुक्त को बुलाने के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश में यह दिखना चाहिए कि उसने मामले के तथ्यों पर अपना दिमाग लगाया है और वहां लागू कानून को उपयोग किया है। शिकायत में लगाये गये आरोपों की उसे परीक्षा करनी होगी और उसके समर्थन में मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य दोनों और ये शिकायत शिकायतकर्ता के लिए अभियुक्त के विरूद्ध आरोप लगाने के लिए पर्याप्त होंगे। यह मजिस्ट्रेट के लिए नहीं है कि समन जारी करने से पूर्व प्रारम्भिक साक्ष्य के लेखबद्ध किये जाते समय मुक दर्शक बनकर बैठा रहे। मजिस्ट्रेट को रिकाॅर्ड पर लाई गई साक्ष्य का सावधानी से जांच करनी होगी और वह शिकायतकर्ता या उसके साक्षियों से खुद भी आरोपों की सत्यता की जांच के लिए प्रश्न पूछ सकता है या अन्यथा और तब परीक्षा करेगा कि क्या सभी अभियुक्त या उनमें से किसी ने प्रथम दृष्टया कोई अपराध किया।"

16. आगे, इस न्यायालय ने एस.डब्ल्यू. पलानीकर बनाम बिहार राज्य [2002 (1) एससीसी 241] में देखा है कि प्रत्येक विश्वासघात

आपराधिक विश्वासघात नहीं होता है जब तक कि कपटपूर्ण दुर्विनियोग का मानसिक कृत्य न हो। इस प्रकार से देखा गयाः

> "8. हमें लगता है कि उनसे संबंधित विवादों के साक्षेप गुणों की जांच करने से पहले कानूनी स्थिति पर ध्यान देना उचित होगा। प्रत्येक न्याय भंग दण्ड के लिए आपराधिक न्यास भंग नहीं होता जब तक कि कपटपूर्ण दुर्विनियोग मानसिक कृत्य का साक्ष्य न हो। न्यासभंग का कृत्य एक सिविल दोष है जिसके संबंध में वह व्यक्ति जिसके साथ दोष किया गया है अपने नुकसान के लिए सिविल न्यायालय में अनुतोष ले सकता है परंतु आपराधिक मनःस्थिति के साथ न्यासभंग एक आपराधिक मुकदमा चलाने को भी जन्म देता है।
>
> 9. आपराधिक न्यास भंग गठित करने अव्यव/घटकः
>
> i. किसी व्यक्ति को सम्पत्ति या सम्मति का प्रभूत्व सौंपना,
>
> ii. उस व्यक्ति को सौंपा गया (ए) उसने उस सम्पत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग किया या अपने स्वयं के उपयोग के लिए संपरिवर्तित किया; या (बी) बेईमानी से उस सम्पत्ति का उपयोग किया या किसी अन्य व्यक्ति का एेसा किया

जानबुझकर सहन किया (I) या एेसा न्यास निर्वहन करने वाले किसी कानून का उल्लंघन किया; (ii) इस इसका निर्वहन करने वाली किसी संविदा का भंग किया।

10. छल के अपराध के लिए यह आवश्यक है कि जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता हे कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे, या यह सम्मति दे दे कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को रखरखे या साशय उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, उत्प्रेरित करता है कि वह एेसा कोई कार्य करे, या करने का लोप करे जिसे वह यदि उसे इस प्रकार प्रवंचित न किया गया होता तो, न करता, या करने का लोप न करता, और जिस कार्य या लाेप से उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, ख्याति संबंधी या सांपत्तिक नुकसान या अपहानि कारित होती है, या कारित होनी संभाव्य है, व "छल" करता है, यह कहा जाता है।

11. हमारे में से एक (डी.पी. महापात्र, जे.) हृद्धयरंजन प्रसाद वर्मा बनाम बिहार राज्य, (2000) 4 एससीसी 168 में बेंच

की ओर से इस प्रकार से कहाः **(एससीसी पी. 177, पैरा 15)**

15. संविदा भंग/उल्लेघन और धोखाधडी के बीच प्रश्न का अवधारण करते समय हमें अपने दिमाग में यह रखना होगा कि इनके बीच बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। यह अभियुक्त के उत्प्रेरणा देने के समय के इरादे पर निर्भर करता है जो उसके पश्चातवर्ती आचरण से आंका जा सकता लेकिन इसके लिए पश्चातवर्ती आचारण ही एकमात्र परीक्षा नहीं है। केवल संविदा का भंग छल के लिए आपराधिक अभियोजन को जनम नहीं देता है जब तक कि धोखाधडी या बेईमानी का आशय लेन-देन की शुरुआत में ही न दिखाया गया हो, यही समय हे जब यह कहा जाता है कि अपराध किया है। इसलिए यह ईरादा ही जो अपराध का सार है। किसी व्यक्ति को धोखाधडी का दोष ठहराने के लिए यह दिखाना आवश्यक है कि वादा करते समय उसका ईरादा कपटपूर्ण या बेईमानीपूर्ण था। तत्पश्चात् केवल अपने वादे को नहीं निभाना, उसका शुरुआत में वादा करते समय आपराधिक आशय रहा यह उपधारणा नहीं की सकती।

(जोर दिया गया)

17. उपरोक्त चर्चा इस विषय पर स्पष्ट रूप से कानूनी बिंदु को इंगित करती है जो अब तक अच्छी तरह से तय हो चुकी है। इस परीक्षण को तब निकाला/लागू किया जा सकता है, जब प्रारम्भिक स्तर पर अभियोजन को रद्द करने के लिए कहा जाये। न्यायालय द्वारा यह परीक्षण लागू किया जावे कि क्या शिकायत में निर्विवाद रूपसे लगाये गये आरापों से प्रथम दृष्टया अपराध स्थापित होता है। यह न्यायालय के लिए भी हे कि वह किसी विशेष मामले में अभियोजन को आगे जारी रखने के लिए यिद यह समीचीन और न्यायहित में आवश्यक समझता है तो वह किसी विशेष बिंदुओं को विचार में ले। यह इसलिए है कि न्यायालय किसी भी अन्य अप्रत्यक्ष उद्धेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकता। भजन लाल के (उपरोक्त) मामले में जो परीक्षण लागू किया गया है वह न्यायालय के समक्ष किसी भी रद्द करने की प्रार्थना में बहुत ही सावधानी और सूक्ष्मता से लागू करने की आवश्यकता है।

18. उपरोक्त कानूनी स्थिति की पृष्ठभूमि में जब वर्तमान मामले के तथ्यों का परीक्षण किया जाता है तो यह स्थिति सामने आती है कि क्या स्टेशन हाउस ऑफिसर, काकुमन, काकुमन मण्डल, जिला गुंटूर में दिनांक 02.07.2005 को जो रिपोर्ट पेश की गई है और स्टेशन हाउस ऑफिसर के द्वारा जो आरोप पत्र पेश किया है, क्या उसमें कोई महत्वपूर्ण आरोप अपीलार्थीगण के विरूद्ध हैं, जो प्रथम दृष्टया अपीलार्थीगण के विरूद्ध

आरोपित अपराध को स्थापित करे। उक्त पहलू की जांच करते समय इस न्यायालय को यह अपने दिमाग में रखना है कि क्या उपरोक्त रिपोर्ट/चार्जशीट में लगाये गये आरोप निर्विवाद माना जाना चाहिए।

19. हमने आरोप पत्र की सावधानी से जांच की जो रिकॉर्ड का एक भाग है और जो उपरोक्त रिपोर्ट दिनांक 02.07.2005 के आधार पर तैयार की गई है और पुलिस द्वारा जो अनुसंधान अधिकारी किया गया उसके आधार पर जिस में उन्होंने निश्चित जानकारी इकट्ठी की थी। हमने यहां आरोप पत्र में सभी अपीलकर्ताओं के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को पढा उपरोक्त आरोप पत्र में अधिकांश आरोप अभियुक्त संख्या 1 के खिलाफ निर्देशित है।

20. अन्य आरोपियों के विरूद्ध जो आरोप लगाये हैं, वह अभियुक्त संख्या 1 द्वारा धान की भारी मात्रा एनआरई उद्योगों, पोन्नूर को भेजा जाना और अभियुक्त संख्या 2 से 9 तक को सक्रिय भागीदारी/सहायता से गायब करना और अभियुक्त संख्या 1 द्वारा अभियुक्त संख्या 6 की सहायता से नेताजी नगर, निदुबरोलू में बेनामी सम्पत्ति खरीदी और अभियुक्त संख्या 1 द्वारा अभियुक्त संख्या 2 की सहायता से बैंगलुरु में भी बहुमूल्य संपत्तियां खरीदी। केवल ये ही आरोप है जो वर्तमान अपीलार्थी संख्या अभियुक्त संख्या 2 और 3, अभियुक्त संख्या 6, 7 और 8 के विरूद्ध लगाये गये है। कोई विशेष भूमिका उपरोक्त व्यक्तियों में से किसी की नहीं बताई गई

सिवाय यह कहा गया है कि धान की भारी मात्रा अभियुक्त संख्या 1 के द्वारा अभियुक्त संख्या 2 से 9 की सक्रिय सहायता से हेराफेरी की गई है, उनमें से बिना किसी की कोई विशेष भूमिका बताये बिना उपरोक्त आरोप हमें बहुत ही नीरस और अस्पष्ट प्रतीत होता है। इसी तरह अभियुक्त संख्या 2 और 3 पर लगाया गया आरोप कि उन्होंने सम्पत्ति खरीदने में अपने पिता की सहायता की बिना कोई उनकी विशेष भूमिका बताये बहुत ही अस्पष्ट है।

21. हमारी सुविचारित राय में उपरोक्त अभियुक्त व्यक्तियों (यहां अपीलार्थी) के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति देकर कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। आरोपित अपराध में उनमें से प्रत्येक की कोई विशेष भूमिका बताते हुए कोई ठोस और प्रत्यक्ष आरोप नहीं है। बयान जो हमें आरोप के रूप में दिखाये गये है जो उनके विरूद्ध प्रथम दृष्टया सबूत बनाते है, हमारे अनुसार बहुत नीरस और अस्पष्ट है। बयान जिनके आधार पर कोई मामला नहीं बनाया जा सकता।

22. हमारा यह विचार है कि इस प्रकार के आरोपों से प्रथम दृष्टया साक्ष्य का कोई मामला नहीं बनता है/मानना है। परिणामस्वरूप हमारे पास अपीलार्थीगण अभियुक्त संख्या 2 और 3 तथा अभियुक्त संख्या 6-8 के विरूद्ध कार्यवाही रद्द करने के अलावा अन्य विकल्प नहीं है। हालांकि, एेसा करते समय हम यह स्पष्ट कर देते है कि हमने अभियुक्त संख्या 1 और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों का जहां तब संबंध है, के विरूद्ध उपरोक्त आरोप

पत्र में लगाये गये आरोपों के बारे में कोई राय नहीं दी है। हम यह भी स्पष्ट करते है कि जो टिप्पणियां की गई है, वे केवल आपराधिक कार्यवाही के बारे में है और इनमें से किसी भी टिप्पणी/राय को सिविल दायित्व के बारे में हमारी राय/टिप्पणी न मानी जावे, यदि कोई हो, जहां तक संबंध है।

23. दोनों अपीले; उपरोक्त सीमा तक स्वीकार की जाती है। कोस्ट/लागत के बारे में कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(अपील की अनुमती)

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **श्रीमती सरीता यादव (आर.जे.एस.)** द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्धेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्धेश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणित होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्धेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

(सरीता यादव)

अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम सं-02

नीमकाथाना, जिला सीकर (राज.)।